न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़

प्रकरण संख्या 61......./2023

उनवान

जयकिशन कुमावत पुत्र नृसिंह कुमावत जाति कुमावत निवासी बड़ौदा बैंक के पास, पीताम्बर की गाल ग्राम सिलोरा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

बनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88 रा0का0अधिनियम 1955 व धारा 136 रा0भू0रा0 अधिनियम 1956

–: : आदेश : :–

प्रार्थी के *"खाता दुरूस्ती"* प्रार्थना पत्र एवं पटवारी सिलोरा व भू.अ.नि. सिलोरा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार किशनगढ़ की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 एवं राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम सिलोरा तहसील किशनगढ़ व जिला अजमेर की जमाबन्दी सम्वत् 2067–2070 में खाता संख्या नया 5 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार किशनगढ़ उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन की कार्यवाही करे।

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	सिलोरा	5	जयकिशन पुत्र नृसिंह हिस्सा 1/3 जाति सिलावट सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/3 (पूर्ण खाता) बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा SILORA, RAJASTHAN	जयकिशन पुत्र नृसिंह हिस्सा 1/3 जाति कुमावत सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/3 (पूर्ण खाता) बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा SILORA, RAJASTHAN शेष इन्द्राज जमाबन्दी बदस्तुर रहेगा।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 28/3/23....... को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर किये गये। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(परसाराम)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)